अति महत्वपूर्ण

संख्या- 16/2025/ 172/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 20-05-2025**

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल URL- ehrms.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-63/ सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 तथा शासनादेश संख्या-4/2025/05/सैतालीस-का-5-2024, दिनांक 17.01.2025 द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- अवगत कराना है कि मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा बैठकों, विभागों द्वारा प्रेषित पत्रों / पत्रावलियों में राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां मानव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने में परिलक्षित हुई मुख्य कठिनाइयां एवं उनके निराकरण के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नवत हैं:-

क्रम संख्या	विभागों द्वारा इगित मुख्य कठिनाइयां	कठिनाई के निराकरण हेतु लिया गया निर्णय / कृत कार्यवाही
1.	मानव सम्पदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 की समूह 'क' एवं 'ख' के कतिपय अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत किये जाने अथवा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी के मन्तव्य अंकन हेतु लम्बित है तथा अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 बीत जाने के पश्चात पोर्टल लॉक है। लम्बित प्रविष्टयों का अंतिमीकरण नहीं हो पा रहा है।	पोर्टल पर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उपरोक्त लम्बित वार्षिक प्रविष्टियों / मूल्यांकन आख्याओं का विभागीय एडमिन द्वारा यथास्थिति अंतिमीकरण कर दिया जाए, जिससें उक्त वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या संबंधित अधिकारी, विभागीय एडमिन तथा संबंधित स्थापना / गोपनीय प्रविष्टि अनुभाग को दर्शित हो सकें। अतएव वर्ष 2023-24 की लम्बित वार्षिक प्रविष्टियों / मूल्यांकन आख्याओं का विभागीय एडमिन द्वारा यथास्थिति अविलम्ब अंतिमीकरण किया जाना अपेक्षित है।
2.	आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियों में प्रतिवेदक अधिकारी स्तर से Push होकर अगले स्तर पर जाने वाली मूल्यांकन आख्या / प्रविष्टि में श्रेणी एवं सत्य निष्ठा का प्रमाणन। कतिपय प्रकरणों में यह परिलक्षित हुआ है कि प्रतिवेदक अधिकारी की किन्हीं कारणों से अनुपलब्धता अथवा समय से मन्तव्य अंकन न होने के कारण समीक्षक अधिकारी के स्तर पर Push की जाने वाली मूल्यांकन आख्या में समीक्षक अधिकारी द्वारा	पोर्टल पर यह व्यवस्था की गयी है कि प्रविष्टियों / मूल्यांकन आख्याओं में कार्मिक के स्वास्थ्य तथा सत्य निष्ठा पर मन्तव्य का विकल्प समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी के स्तर पर भी उपलब्ध हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्मिक की ग्रेडिंग / मार्किंग तो की जा सकती है परन्तु कार्मिक की सत्यनिष्ठा एवं स्वास्थ्य के संबंध में कोई टिप्पणी करने का विकल्प नहीं होता। उक्त विकल्प मात्र प्रतिवेदक अधिकारी के स्तर पर होता है। इस प्रकरणों में उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां शून्य (ब्लैंक) रह जाती हैं।	
3.	आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियों में कतिपय विभागों द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' की वार्षिक प्रविष्टियों के स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित स्तर के के संबंध में पृच्छा की जा रही है। विभागों द्वारा अवगत कराया गया है कि पोर्टल पर त्रिस्तरीय व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि समूह 'ग' की वार्षिक प्रविष्टियों के स्वीकृत किये जाने हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था लागू हैं।	वर्कफ्लो के वर्तमान प्रारूप में ही यह व्यवस्था की गयी है कि विभागों द्वारा द्विस्तरीय अथवा त्रिस्तरीय दोनो प्रकार के वर्कफ्लो जनरेट किये जा सकते हैं। उक्त हेतु APAR वर्क फ्लो बनाते समय रिव्यु/स्वीकृर्ता अधिकारी के कोड की जगह "BLANK" भरा जा सकता है, जिससे एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय वर्क फ्लो बनाये जा सकते है।

3- उल्लेखनीय है कि मानव सम्पदा पोर्टल की दिनांक 07.05.2025 को की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल पर दर्ज कुल 8,16,282 कार्मिकों में से मात्र 2,75,300 का ही वर्क फ्लो जनरेट है, 5,40,233 कार्मिकों का वर्क फ्लो जनरेट नहीं है। शासनादेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु वर्क फ्लो जनरेट करने की तिथि 30.04.2025 निर्धारित की गयी है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी अभी तक मात्र 33 प्रतिशत कार्मिकों का ही वर्कफ्लो जनरेट हो सका है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

4- चूंकि समूह 'ग' एवं 'घ' को उक्त व्यवस्था में प्रथम बार सम्मिलित किया गया है तथा प्रकरण में आ रही तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु वर्क फ्लो जनरेट करने की तिथि 25.05.2025 किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/विभागान्तर्गत कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वर्क फ्लो जनरेट कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतएव विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैश बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in